



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अगस्त 03, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 118 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त दिनेश पुत्र सुरेश नि- पिपरहवा थाना निचलौल जनपद-महाराजगंज के कब्जे से 16 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 371/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत एवं 2. अभियुक्त सुरेश पुत्र रामअवध नि0 पिपरहवा थाना निचलौल जनपद -महाराजगंज के कब्जे से 14 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 372/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त ज्ञानचन्द पुत्र निरहू नि0 हरदीडाली थाना सोनौली जनपद- महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब व 01 अदद साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सूरज साहनी पुत्र रामरतन नि0- दुर्गवलिया, रूपनदेही, नेपाल 2. देवीदीन पुत्र हीरा नि0 खनुआ थाना सोनौली के कब्जे से 03 बोरी यूरिया खाद व 02 अदद साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्तगण महेन्द्र चौहान पुत्र स्व सत्यनरायन नि0 खैरहवा, परसा छापर थाना-बरगदवा, जनपद महाराजगंज 2. ओमनरायन पुत्र रामचन्द्र नि0 खैरहवा जंगल, थाना-बरगदवा 3. रामदरश पुत्र छोटकन नि0 खैरहवा जंगल थाना बरगदवा 4. मुराली पुत्र नागू नि0 खैरहवा जंगल थाना बरगदवा के विरुद्ध थाना -कोतवाली में मु0अ0स0 312/22 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 12 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 02.08/03.08.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 22 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।